UPAU010049562019

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश–प्रथम, औरैया

सिविल रिवीजन संख्या–23 सन 2019

रामदेवी आदि बनाम कृपा राम

दिनांकः–15.05.2025

1. पत्रावली पेश हुई। पुकार करायी गयी। पुकार पर न्यायालय में प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित एवं विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित आये। उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को प्रार्थना पत्र –23 ग व 28 ग पर सुना गया। दोनों प्रार्थनापत्र धारा 5 परिसीमा अधिनियम के अन्तर्गत दिये गये है। अतः इनका निस्तारण एक साथ किया जाना न्यायोचित है।

2. प्रार्थी/रिवीजनकर्ता कश्मीर सिंह की ओर से प्रार्थना पत्र –23 ग व 28 ग, अन्तर्गत धारा–5 परिसीमा अधिनियम विरासत कायमी योजित करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

3. प्रार्थी/रिवीजनकर्ता कश्मीर सिंह द्वारा **प्रार्थना पत्र– 23 ग** न्यायालय के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि प्रस्तुत मामले में 12 क विरासत आवेदन 06.08.20 को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है जिसमें रिवीजनकर्ता की जानकारी के मुताबिक ओ.पी. की मृत्यु की तारीख 26.05.2020 वर्णित थी मगर आपत्ति आने पर मृत्यु की तारीख 25.04.2020 बतायी गयी जिसे संशोधित कराया जा चुका है। अब उक्त विरासत आवेदन 12 क काल बाधित की परिधि में आ गया है और समय सीमा 90 दिन 23.07.2020 तक पूर्ण हो गयी है और आवेदन 06.08.2020 को पत्रावली में दाखिल किया गया है जो कानूनी अज्ञानता के कारण व विश्व भर में चल रही महामारी कोविड 19 के कारण न्यायालय आकर आवेदन समय रहते देने व ज्यादातर न्यायालयों में कार्य पेंडिग पत्रावली में न होने से उक्त विलम्ब हुआ है जो मात्र 14 दिन का विलम्ब हुआ है और परिस्थितिजन्य है। लिहाजा पूर्ण एवं समग्र न्याय निर्णयन हेतु माफ किया जाना परमावश्यक है तथा आवेदन विरासत की धारा 5 मियाद अधिनियम के उपबन्ध का लाभ देकर समय से ही माना जाना न्यायोचित एवं जरूरी है जो विलम्ब हुआ है वह मजबूरीवश व लाकडाउन के चलते हुआ है तथा घर से बाहर न आ पाने से पता न चलने व मृतक अलग जगह पर रहने व आवेदक को अलग जगह पर रहने से 13–14 दिन का विलम्ब हुआ है जिसे क्षमा किया जाकर आवेदन 12 क विरासत को समयान्तर्गत माना जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थनापत्र के द्वारा विरासत आवेदन में हुये विलम्ब को क्षमा किया जाकर समय से माने जाने का अनुरोध किया गया है एवं प्रार्थी/रिवीजनकर्ता कश्मीर सिंह द्वारा **प्रार्थना पत्र– 28 ग** न्यायालय के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि उक्त रिवीजन में ओ.पी. संख्या 1 की मृत्यु के विरासत आवेदन को देने में 20 क के माध्यम से संशोधन की तारीख मृत्यु मूल विरासत आवेदन 12 में 25.04.2020 को हो गयी है और दिनांक 06.08.20 को आवेदन प्रस्तुत किया गया है लिहाजा मूल विरासत आवेदन अन्दर 90 दिन प्रस्तुत करना चाहिए था नहीं हो सका है और 16 दिन का विलम्ब आवेदन 20 क मूल विरासत आवेदन देने में हुआ है जो जानकारी विपक्षी की मृत्यु के बात ओ.पी. संख्या 1 शीतल कुमार की आपत्ति के आधार पर हुयी है और प्रार्थी ग्राम में निवास करता है मृतक बेला में रहता था और मृतक की जानकारी समय रहते नहीं हो सकी थी जो विलम्ब हुआ है वह अनजाने में हुआ है। 20 क आवदेन में हुये संशोधन से विरासत आवेदन में हुयी देरी को मजबूरी व मृतक की जानकारी न होने से हुयी है काबिल माफी है और धारा 5 का लाभ रिवीजनकर्ता पाने का हकदार है। अतः उक्त रिवीजन में 20 क आवेदन

Digitally signed by Parul Jain
Date: 2025.05.15 13:32:18 IST
Reason: Document Owner
Location: Additional District and Sessions Court-1, Auraiya

प्रस्तुत करने में हुये 16 दिन के विलम्ब को क्षमा किया जाकर आवदेन 20 क को अन्दर मियाद माना जाकर स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. आपत्तिकर्ता की ओर से आपत्ति 30 ग दिनांकित 17.02.2023 प्रस्तुत करते हुये कथन किया गया है कि रिवीजनकर्ता का प्रार्थनापत्र विधि –विधान एवं तथ्यों के प्रतिकूल है और सव्यय निरस्त होने योग्य है। रिवीजनकर्ता का प्रार्थनापत्र अस्पष्ट है और मुकदमा को जानबूझकर लम्बे समय से विलम्बित किया जा रहा है। रिवीजनकर्ता को प्रार्थनापत्र में दिये गये तथ्यों की जानकारी समय से थी जानबूझकर त्रुटि की गयी है। रिवीजनकर्ता का प्रार्थनापत्र हर हाल में सव्यय निरस्त किये जाने योग्य है।

5. उभयपक्षों को सुना गया तथा पत्रावली का परिशीलन किया गया।

6. पत्रावली के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि निगरानीकर्ता ने न्यायालय सिविल जज (सी.डि.) औरैया के द्वारा पारित आदेश दिनांकित 15.07.2019 से क्षुब्ध होकर प्रार्थी द्वारा सिविल निगरानी दिनांकित 22.08.2019 को योजित की है। प्रार्थी द्वारा धारा 5 का प्रार्थनापत्र इस आशय से प्रेषित किया गया है कि सिविल निगरानी दायर करने में उसे कुछ दिन का विलम्ब हुआ है। प्रार्थी द्वारा विलम्ब का कारण प्रार्थनापत्र 23 ग व 28 ग में यह बताया गया है कि कोरोना महामारी संक्रमण हो जाने के कारण व लाक डाउन होने के कारण वह शहर औरैया नहीं आ सका। उक्त रिवीजन में ओ.पी. संख्या 1 की मृत्यु के विरासत आवेदन को देने में 20 क के माध्यम से संशोधन की तारीख मृत्यु मूल विरासत आवेदन 12 में 25.04.2020 को हो गयी है और दिनांक 06.08.20 को आवेदन प्रस्तुत किया गया है लिहाजा मूल विरासत आवेदन अन्दर 90 दिन प्रस्तुत करना चाहिए था नहीं हो सका है और 16 दिन का विलम्ब आवेदन 20 क मूल विरासत आवेदन देने में हुआ है जो जानकारी विपक्षी की मृत्यु के बात ओ.पी. संख्या 1 शीतल कुमार की आपत्ति के आधार पर हुयी है और प्रार्थी ग्राम में निवास करता है मृतक बेला में रहता था और मृतक की जानकारी समय रहते नहीं हो सकी थी जो विलम्ब हुआ है वह अनजाने में हुआ है। 20 क आवदेन में हुये संशोधन से विरासत आवेदन में हुयी देरी को मजबूरी व मृतक की जानकारी न होने से हुयी है तथा घर से बाहर न आ पाने से पता न चलने व मृतक अलग जगह पर रहने व आवेदक को अलग जगह पर रहने से 13–14 दिन का विलम्ब हुआ है। विपक्षी द्वारा आपत्ति में यह अभिकथित किया गया है कि यह विधि विरूद्ध है एवं मुकदमे को विलम्बित करने के लिये लायी गयी है। तथ्यों की जानकारी समय से थी जानबूझकर त्रुटि की गयी है। यह न्यायालय यह स्पष्ट करता है कि जो आपत्ति विपक्षी द्वारा दी गयी है उसमें कोई बल प्रतीत नहीं होता क्योंकि पत्रावली के परिशीलन से ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि प्रार्थी द्वारा विलम्ब किया गया है या जानबूझकर त्रुटि की गयी है। इस प्रकरण में प्रार्थी एक अनपढ़, ग्रामीण व्यक्ति है जिसे कानूनी दावपेंच का ज्ञान नहीं है जिस कारण प्रार्थी की ओर से समय सीमा के अन्दर सिविल निगरानी प्रस्तुत नहीं की जा सकी। यह विधि का सिद्धान्त है कि न्यायहित में किसी भी मामले का निस्तारण गुणदोष के आधार पर किया जाना चाहिए न कि अति तकनीकी (Hyper technical)आधार पर। पत्रावली के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि कोविड महमारी के कारण विलम्ब हुआ हो तथा मृतक की मृत्यु की जानकारी उसे विलम्ब से हुयी विलम्ब का कारण जो प्रार्थी द्वारा उल्लेखित किया गया है उसे क्षमा किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है क्योंकि अगर विलम्ब क्षमा नहीं किया गया तो प्रार्थी/रिवीजनकर्ता को अपूर्णनीय क्षति होगी तथा मामले का निस्तारण गुण–दोष के आधार पर नही हो पायेगा।

7. **माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कलेक्टर एल.ए.अन्न्तनाग बनाम श्रीमती कटीजी ए.आई.आर. 1987 सुप्रीम कोर्ट पेज–1353** में यह विधि निर्धारित है कि मामले का निस्तारण गुणदोष के आधार पर किये जाने का प्रयास किया जाना चाहिए न कि तकनीकी आधार पर। अतः उपरोक्त प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किये जाने की परिस्थिति में प्रार्थी/रिवीजनकर्ता को अपूर्णनीय क्षति होगी तथा मामले का निस्तारण गुण–दोष के आधार पर नही हो पायेगा।

8. उपरोक्त चर्चा के आधार पर इस न्यायालय का मत है कि प्रार्थना पत्र 23 ग व 28 ग स्वीकार किये जाने योग्य है। अतएव् प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब को माफ किये जाने का आधार पर्याप्त है तदनुसार प्रार्थना पत्र 23 ग व 28 ग न्याय हित में स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/रिवीजनकर्ता की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 23 ग एवं 28 ग सिविल रिवीजन संख्या–**23 सन 2019**, (सौ रूपये) 100/– रूपये के हर्जे पर न्याय हित में स्वीकार किया जाता है। प्रार्थना पत्र 23 ग एवं 28 ग योजित करने में हुई देरी माफ की जाती है। पत्रावली निगरानी सुनवाई हेतु माननीय जनपद न्यायाधीश, औरैया के न्यायालय को प्रेषित की जाए। पक्षकार नियत दिनांक 28.05.2025 को माननीय जनपद न्यायाधीश के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।

दिनांक–15.05.2025

(पारूल जैन)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश–प्रथम
कक्ष सं०–1, औरैया।
जे0 ओ 0 कोड–यू0 पी02391